


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी-1

विषय:- अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में तकनीशियन (ऑपरेशन थियेटर रूम) पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में तकनीशियन (ऑपरेशन थियेटर रूम) पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली. 110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 011-2306 2666

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर रूम) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर रूम के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान में तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर रूम पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर रूम समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) के पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे ढ व्यक्ति और विवाह के अन् य पक्षकार को लागू ढ यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन् य आधार हैं तो वह किसी ढ व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन् हैं लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के ढ व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **ढ यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन् य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन् य विशेष प्रवर्ग के ढ व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक स में रु तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर रूम	02 (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल - 2	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेश के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य अर्हताएं : (i) ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन ट्रेड में कम से कम 6 माह के डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के साथ 10+2 वांछनीय अर्हता: (ii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर में एक वर्ष का अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लेवल में 3 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले हमाल /	समूह 'ग' विभागीय नियमितीकरण समिति:	लागू नहीं

आया / स ट्रेचर / बेयरर / नर्सिंग अर्दली / वार्ड ढ वॉय / ऑपरेशन थियेटर ढ वॉय की श्रेणी से पदोन् नति	1. अपर निदेशक, 2. मुख य चिकित् सा अधिकारी (एनएफएसजी) 3. संबंधित विभागाध यक्ष	- अध यक्ष - सदस् य - सदस् य	

अवर सचिव, भारत सरकार